



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन 1939 (श0)  
(सं0 पटना 961) पटना, शुक्रवार, 13 अक्टूबर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना  
13 अक्टूबर 2017  
अधिसूचना सं0-30/2017- राज्य कर (दर)

एस०ओ० 211, दिनांक 13 अक्टूबर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तथा परिषद की सिफारिशों के आधार पर, वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य दर दिनांक 29 जून, 2017, जिसे गजट संख्या 555 दिनांक 29 जून, 2017 के तहत बिहार राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 9 क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा यथा—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9 ख	अध्याय 99	नेपाल और भूटान (भू-स्थल से घिरे देश) को ट्रांजिट कार्गो से संबंधित सेवाओं का आपूर्ति	कुछ नहीं	कुछ नहीं”

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-30)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुजाता चतुर्वेदी,  
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

## 13 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 212, एस०ओ० 211 दिनांक 13 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-30)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

**The 13<sup>th</sup> October 2017**

**Notification No.30/2017-State Tax (Rate)**

S.O. 211 dated 13<sup>th</sup> October 2017—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* number 555, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 9A and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9B	Chapter 99	Supply of services associated with transit cargo to Nepal and Bhutan (landlocked countries).	Nil	Nil".

2. This notification shall come into force with effect from the 29<sup>th</sup> September, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21/2017-30 )]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण)961-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>